प्रेस विज्ञप्ति

30/05/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने अवैध खनन मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29.05.2024 को पंजाब राज्य के विभिन्न जिलों-रूपनगर (रोपड़), होशियारपुर, मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब) और ऊना (हिमांचल प्रदेश) में 14 आवासीय/व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और4.06 करोड़ की रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई।

ईडी ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि श्री राम स्टोन क्रशर के मालिक नसीब चंद कुख्यात भोला ड्रग्स मामले में ईडी द्वारा कुर्क की गई जमीन पर अवैध खनन कर रहे थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि नसीब चंद रोपड़ जिले के अन्य इलाकों में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहा था। जांच के दौरान अवैध खनन में शामिल अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के बीच धन हस्तांतरण से संबंधित विभिन्न लेनदेन सामने आए। इन संस्थाओं को भी तलाशी अभियान के तहत शामिल किया गया था।

आगे की जांच जारी है।